



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 17 दिवस के कारावास व 800/-रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-82/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गोविन्दा पुत्र राम कृपाल विश्वकर्मा निवासी पचखुरा खुर्द थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 17 दिवस का कारावास व ₹ 800/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एसपीओ रणविजय सिंह



विवेचक-
उ०नि० एसके गुप्ता



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० प्रेम सिंह